न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/649

1. बीरबल पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी जखोपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर।

–अपीलांट्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर।
2. जगदीश पुत्र सोहन जाति मेघवाल निवासी जखोपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर।
3. शिशपाल पुत्र श्री बह्मदत्त यादव
4. सन्तलाल पुत्र श्री भूपसिंह यादव
5. राकेश पुत्र श्री रामेश्वर यादव
6. रामपाल पुत्र श्री शेरसिंह यादव
7. इब्राहिम पुत्र श्री झेन्दा खान
8. वेदप्रकाश पुत्र श्री सन्तराम यादव
9. लालचन्द पुत्र श्री मांवा मेघवाल
10. जसवन्त सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह
11. गुरदेव सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह
12. फकरूद्दीन पुत्र श्री पहलू मेव

समस्त निवासी जखोपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.06.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के आदेश क्रमांक/राजस्व/2023/344

उपस्थित–

1. श्री बनवारी शर्मा, प्रमोद शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री संजय शर्मा वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 12 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–23.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान के निर्णय दिनांक 15.06.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम जखोपुर तहसील टपूकडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 48/783 रकबा 0.91 में से 0.0293 है0, खसरा नम्बर 837/48 रकबा 0.40 है0 में से 0.0220 है0, खसरा नम्बर 48/780 रकबा 0.21 है0 में से 0.0146 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार टपूकडा द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ते का अमल करने के आदेश दिनांक 15.06.2023 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी तिजारा हाल जिला खैरथल–तिजारा के उक्त निर्णय दिनांक 15.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी तिजारा हाल जिला खैरथल–तिजारा दिनांक 15.06.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम जखोपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा स्थित आराजी खसरा नम्बर 48/783 रकबा 0.91, खसरा नम्बर 837/48 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 48/780 रकबा 0.21 है0 के अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 काबिज रिकार्डेड खातेदार हैं। तहसीलदार टपूकडा द्वारा प्रश्नगत आराजी की भूमि रास्ते के लिए दर्शाते हुये बिना अपीलांट को कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा भी अपीलांट को कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में से किसी भी तरह का कोई आम रास्ता या सडक नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अपीलार्थी की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में व ना ही मौके पर अवस्थित है। अपीलांट द्वारा मौके पर रहवास हेतु मकान बाडे व टीनशैड बना रखे हैं जिस पर अपीलांट अपने परिवार व अपने मवेशियों को रखता आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच तैयार की गई एक पक्षीय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के संबंध में कोई विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। प्रार्थी की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती

न्यायालय आयुक्त
जयपुर

की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा दिनांक 15.06.2023 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पो0 संख्या 3 से 12 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम जखौपुर तहसील टपूकडा में स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 48/803 से 48/806, 48/809 से 48/811 एवं 48/814 राजस्व भू अभिलेखों में अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित भूमि है। उक्त खसरा नम्बरों की कुल भूमि में 1 हिस्सा सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकित है। प्रश्नगत सभी खसरा नम्बरों में ग्राम गैलपुर से भूपकाहेडा को जाने वाली सडक सरकारी से होकर ग्राम जखौपुर की आबादी भूमि तक एक कदीमी रास्ता मौके पर मौजूद है, जिसे अपीलार्थी एवं रेस्पो0 संख्या 2 ने जबरन बंद कर ग्राम वासियों का आवागमन अवरूद्ध कर दिया। ग्राम जखौपुर एवं आसपास की ढाणियों के लोग उक्त कदीमी रास्ते से अपने खेतों, घर, स्कूल एवं ग्राम से बाहर आवागमन कर रहे हैं। इसी रास्ते पर एक सार्वजनिक धर्मशाला भी बनी हुई है उक्त आम रास्ते की चौडाई लगभग 10–15 फीट है, खसरा नं. 48/803 से 48/806, 48/809 से 48/811 एवं 48/814 में सीसी रोड बनी हुई है। जिस पर अपीलार्थी एवं रेस्पो0 संख्या 2 ने जबरन रातोरात एक टीनपोश कमरे का निर्माण कर उसमें चारा भर दिया एवं मुख्य सडक से लगते हुये अपने खेत से होकर जो रास्ता आ रहा था उस पर हल चलाकर बाजरा बो दिया तथा ग्राम पंचायत को सीसी रोड नहीं बनाने दी। उक्त अतिक्रमण को हटाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में दिनांक 26.06.2023 को तहसीलदार टपूकडा के आदेश पर पटवारी हल्का ने दिनांक 28.06.2023 को रास्ता बंद कर देने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अतः उक्त प्रश्नगत रास्ता चालू व सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा हाल जिला खैरथल–तिजारा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। चूंकि अपीलांट प्रश्नगत आराजी खसरा नं. खसरा नम्बर 48/783 रकबा 0.91, खसरा नम्बर 48/780 रकबा 0.21 है0 के रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकार अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पटवारी हल्का एवं तहसीलदार टपूकडा द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के आधार पर ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानानुसार भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के

आदेश दिये गये हैं। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 02.06.2023 के अनुसार भी मौके पर उक्त रास्ता काफी समय से चालू हे एवं सार्वजनिक आम रास्ते के रूप मे काम आ रहा है एवं वर्तमान में आवाजाही चालू है। यह रास्ता तीन गांवो की आबादी को जोडता है। अतः इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रश्नगत रास्ता कई खसरा नम्बरान् से होकर गुजर रहा है। तहसीलदार टपूकडा द्वारा प्रश्नगत रास्ता मौके पर चालू, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध एवं राजस्व अभिलेख में स्थाई रूप से चालू रास्ते के अंकन की अभिशंसा की गई है। तहसीलदार टपूकडा द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये मौका अनुसार रास्ते का प्रस्ताव दिया गया हैं एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा द्वारा विधिवत् उक्त रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 15.06.2023 को दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा का निर्णय दिनांक 15.06.2023 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।